राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

दैनिक राष्ट्रदूत जयपुर के दिनांक 7–8–19 के अंक में प्रकाशित "आंगनबाडी कार्यकर्ता के लिए भर्ती थी, आशा, साथिन को शामिल करना गलत" के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट

क्र.सं	आक्षेप	विभागीय प्रत्युत्तर
1	कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में 309 पदों की भर्ती में आशा, साथिन संवर्ग को शामिल करने के सम्बन्ध में आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से नियमानुसार न्याय दिलवाते हुए न्यायोचित मांगों को पूरा करने हेतु लिखा है। साथ ही इनके द्वारा अन्यथा स्थिति में 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चलाये हुए पदचिन्हों के अनुसार धरना प्रदर्शन करने की धमकी भी दी है।	विभाग द्वारा पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) के गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के कुल 309 पदों की अर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवायी गयी थी। जिसके आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति दिनाक 1–10–18 जारी की जाकर दिनाक 3–3–2019 को परीक्षा आयोजित की गयी। जिसमें आंगनबाडी कार्यकर्ता के अतिरिक्त आशा सहयोगिनी, साथिन इत्यादि को शामिल करने का निर्णय कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही लिया गया है। किन्तु कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विभाग को भिजवाये गये है। उनका विभागीय नियमों के अधीन रहते हुए गठित कमेटी द्वारा परीक्षण किया जा रहा है एवं परीक्षण उपरान्त वांछित अनुभवधारी योग्य आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को ही पात्र अभ्यर्थी मानते हुए पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवायी जा रही है।
2	भर्ती शर्तो के नियम में आंगनबाडी कार्यकर्ता जिसका आईसीडीएस में 10 वर्ष का अनुभव हो, केवल वही शामिल हो सकती है। परन्तु लिखित परीक्षा में आंगनबाडी कार्यकर्ता के अतिरिक्त 10 वर्ष से कम अनुभव रखने वाली आशा, साथिन, कार्यकर्ता इत्यादि भी शामिल हो गयी।	कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर ही चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन कर आंगनबाडी कार्यकर्ता के अतिरिक्त आशा सहयोगिनी, साथिन आदि शामिल करने का निर्णय भी कर्मचारी चयन बोर्ड का ही है। किन्तु कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विभाग को भिजवाये गये है। उनका विभागीय नियमों के अधीन रहते हुए गठित कमेटी द्वारा परीक्षण किया जा रहा है एवं परीक्षण उपरान्त वांछित अनुभवधारी योग्य आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को ही पात्र अभ्यर्थी मानते हुए पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवायी जा रही है।
3	वर्णित पाठ्यकम से बाहर के प्रश्न प्रश्न पूछे गये हैं	विभाग द्वारा अनुमोदित पाठ्यकम कर्मचारी चयन बोर्ड को उपलब्ध करवाया गया था। परन्तु प्रश्न पत्र तैयार करने से सम्बन्धित कार्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही किया गया है। अतः आक्षेप कर्मचारी चयन बोर्ड से ही सम्बन्धित है।

वस्तुतः तीनों आक्षेप प्रथमत दृष्टया कर्मचारी चयन बोर्ड से ही सम्बन्धित हैं। तथापि यह स्पष्ट करना उचित है कि केवल लिखित परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करना अन्तिम रूप से चयन या नियुक्ति का आधार नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी इस सूची को पूर्णतः अस्थाई (Proisional) मानते हुए कुल रिक्तियों के डेढ गुना फार्म मूल प्रमाण पत्रों से मिलान एवं सत्यापन हेतु विभाग को प्रेषित किये गये है। जिनकी विभाग द्वारा गठित कमेटियों द्वारा विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहन जांच की जा रही है। पात्रता जांच में जो अभ्यर्थी नियमानुसार/विज्ञप्ति अनुसार पात्रता की सभी शर्ते पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं को पात्र घोषित करते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों को अपात्र सूची में अंकित करवाकर कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अभिशंषा हेतु भिजवाया जावेगा।